

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-08/अ0प्र0-07-01/2024 152

पटना, दिनांक:-19/4/24

श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव, कनीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ की सेवा को ग्रामीण कार्य विभाग, लेखा लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालयादेश संख्या-467 दिनांक-16.12.1998 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि-16.02.2018 के प्रभाव से सम्पुष्ट किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ० फतिह फ़ैयाज़)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-07-01/2024

2033

पटना, दिनांक:-19/4/24

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ/ श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव, कनीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ /आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव